BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION NO 208/2024

IN THE MATTER OF:

KHATLAPUR MANDIR SAMITI ....APPLICANT

VERSUS

M.P. WETLAND AUTHORITY & ORS. ....RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Action taken report in O.A. 208/2024 in compliance of the Order Dated 08.01.2025		2-4
2.	Photographs taken during the inspection dated 18.02.2025	Annexure-A1	5-6
3.	Copy of the order passed by the Sub Divisional Officer along with the covering letter	Annexure-A2	7-10
4.	A copy of the letter sent by BMC dated 16.04.2025	Annexure-A3	11
5.	Photographs taken during the inspection dated 23.04.2025	Annexure-A4	12-13

Date: 23.04.2025 **Submitted by MPPCB:-**

Place: Bhopal **through Counsel**

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION NO 208/2024

IN THE MATTER OF:

KHATLAPUR MANDIR SAMITI ……..**APPLICANT**

VERSUS

M.P. WETLAND AUTHORITY & ORS. ……….**RESPONDENT**

Action taken report in O.A. 208/2024 in compliance of the Order Dated 08.01.2025.

The MP PCB most humbly submits that: -

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), vide its order dated 08.01.2025, directed as under

   "Accordingly, we direct the State PCB and Municipal Corporation to take action and to ensure that no construction should be permitted within the wetland area. Respondents are directed to ensure it."

2. That, as per the order inspection was conducted on 18.02.2025 of the Khatlapura mandir premises to observe any construction after the previous inspection dated 21/10/2024 within the 50 meters of Chota talab FTL. It is observed that the status quo is maintained in the premises and no new construction was found in the premises. Photographs taken during the inspection is annexed herewith as **Annexure A1**.

3. That, in compliance with the Hon'ble NGT's direction dated 08.01.2025, the MPPCB issued a letter to the Sub-Divisional Officer,

Bhopal on 10.03.2025, to provide the legal status of the case filed in the SDM court.

4. That, in reference to the letter issued by MPPCB the office of the Sub Divisional Officer provided the copy of the order dated 06.03.2025 passed by the court of Sub Divisional Magistrate, Nazul city Bhopal. Copy of the order passed by the Sub Divisional Officer along with the covering letter is annexed here with as **Annexure A2**.

5. That, as per SDM court order, the case was registered between Pappu Vilas Rao Ghadge and the officials of Shri Ram Mandir Khatlapur Committee and Manoj Kumar Dwivedi disciple of Mahanth Baba Premdas. This case involves a dispute among the above parties over acquiring the management and control of the Khatlapura Temple, Jahangirabad, Bhopal.

6. That, the Sub-Divisional Magistrate disposed of the case, stating that the same matter is filed as Civil Suit No. 892/24 and it is pending before the Civil Judge, Junior Division, Bhopal, and therefore, the court does not have jurisdiction to take further action in the matter. The Sub-Divisional Magistrate further directed the Station in-charge of Jahangirabad Police Station to take necessary action under the relevant provisions to ensure that peace and public order in the area are maintained.

7. That, considering the religious nature of the matter and the potential law and order implications, the Bhopal Municipal Corporation sent a letter, dated 16.04.2025, to the Collector of Bhopal, requesting instructions to be issued to the Sub-Divisional Magistrate (SDM) of the area for appropriate action in this regard. A copy of the said letter is annexed herewith as **Annexure A3**.

8. That, in compliance to the order of Hon'ble NGT, a visit of the Khatlapur Mandir, Jahangirabad was conducted on dated 23/04/2025 by SDM, Nazul city Bhopal, Executive Engineer, BMC, Bhopal and Regional Officer, MPPCB, Bhopal to initiate the further action. Photographs on the inspection conducted on 23.04.2025 is annexed here with as **Annexure A4.**

23/4/2025

Brajesh Sharma,
Regional Officer,
MPPCB, Bhopal

Pramod Malviya
Executive Engineer,
Lake Conservation Cell,
Municipal Corporation, Bhopal

Inspection Photographs in OA 208/2024

dated 18/02/2025

Latitude: 23.250259
Longitude: 77.410234
Time: 02-18-2025 14:03
Note: Khatlapur mandir
Powered by NoteCam

Latitude: 23.250192
Longitude: 77.410685
Time: 02-18-2025 14:01
Note: Khatlapur mandir
Powered by NoteCam

Latitude: 23.250195
Longitude: 77.410678
Time: 02-18-2025 14:01
Note: Khatlapur mandir
Powered by NoteCam

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, नजूल शहर वृत्त भोपाल

क्रमांक / 2775 / रीडर / 2025 भोपाल दिनांक 24.03.2025

R.O. M.P.P.C.B. 578 Received Date 1/4/2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 208 / 2024 (सीजेड) खटलापुरा मंदिर समिति विरूद्ध म0प्र0 वेटलैंड अथॉरिटी व अन्य के संबंध में।

संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक 592 / क्षेका / प्रनिबो / 2025 भोपाल दिनांक 10 / 03 / 2025

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 208 / 2024 (सीजेड) खटलापुरा मंदिर समिति विरूद्ध म0प्र0 वेटलैंड अथॉरिटी व अन्य के संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी, नजूल शहर भोपाल में धारा 145 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में अद्यतन जानकारी चाही गई है।

उक्त संबंध में लेख है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी, नजूल शहर भोपाल में धारा 145 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण क्रमांक 06 / 2024 में दिनांक 06 / 03 / 2025 को आदेश पारित किया जा चुका है। पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी
नजूल शहर, भोपाल

अनुविभागीय अधिकारी
शहर वृत्त, भोपाल

AE(C)
2/4/3/2025

न्यायालय एस.डी.एम. जहांगीराबाद/कोतवाली/हनुमानगंज संभाग
शहर वृत भोपाल

प्र.क. 06/24

पुलिस थाना जहांगीराबाद, भोपाल .... आवेदक

विरूद्ध

पार्टी क.-1 - पप्पू विलास राव घाडगे एवं समस्त पदाधिकारी श्रीराम मंदिर खट्लापुरा समिति जहांगीराबाद भोपाल

पार्टी क-2- मन्हत बाबा प्रेमदास दासी के शिष्य मनोज कुमार द्विवेदी ....अनावेदकगण

(अन्तर्गत धारा 145 भा.दा.वि. संहिता 1973)
आदेश पारित दिनांक 06/03/2025

सहायक पुलिस आयुक्त जहांगीराबाद भोपाल क द्वारा पत्र दिनांक 13.03.2024 के माध्य से अवगत कराया कि खटलापुर मंदिर समिति जहांगीराबाद की अद्यतन स्थिति अर्थात समिति केगठन सबंध में जानकारी प्राप्त होने पर खटलापुर मंदिर समिति ने रिसीवर नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने अनुरोध किया है। पत्र क साथ थाना प्रभारी जहांगीराबाद का प्रतिवेदन संलग्न किया गया है।

प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी जहांगीराबाद द्वारा जॉच निवेदन किया है कि पार्टी क.–01 एवं 02 के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित है । इन परिस्थितियों दृष्टिगत रखते हुए विवादित खटलापुरा मंदिर के समिति एवं पुजारी श्री मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा गये आवेदन की जॉच कर समिति के गठन के सबंध में जानकारी प्राप्त होने तक खटलापुरा मंदिर रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु लेख किया गया है।

प्रकरण को पंजीबद्ध किया जाकर उभय पक्ष को आहूत किया गया और जवाब प्राप्त वि गया। पार्टी क–01 ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खटलापुरा मंदिर समिति की ओर मनोज द्विवेदी के मंदिर से निष्कासन हेतु नियमित व्यवहारवाद कमांक 892/24 षष्ठम व्यवहार न्यायाध कनिष्ठ खण्ड भोपाल के समक्ष लंबित है और उसमें कार्यवाही जारी है । अतः निवेदन किया है कि प्र प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर औचित्यहीन एवं अप्रावशील होने से समाप्त किया जावे।

पार्टी क–02 मनोज कुमार द्विवेदी ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 91 के तहत आवे प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी भोपाल के द्वारा किन प्रावध के अन्तर्गत लगभग 18 वर्ष बाद श्रीराम मंदिर खटलापुरा समिति के द्वारा कूटरचित दस्तावेज को लिया गया। दिनांक 02.05.2005 को अवर सचिव के द्वारा पारित निर्णय जिसकी समयावधि एक माह परंतु उक्त अवधि निकल जाने के पश्चात किन प्रावधानो के तहत 18 वर्ष बाद दस्तावेजो को स्वीकार मान्या किया गया । दिनांक 31.10.2023 को पत्र कमांक 2083/2023 असिस्टेंट रजिस्ट्रार के खटलापुरा मंदिर समिति को जारी पत्र में वर्ष 1969 से 2017 तक के सदस्यों की वार्षिक सूची आय–व्यय पत्रक जमा नहीं करने के संबंध में अभियोजन की कार्यवाही करने का उल्लेख किया गय इसके बाद भी समिति के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसके बाद भी रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी के द्वारा अभियोजन की कार्यवाही क्यों नहीं की गई इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रकरण

06/03/2025
सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
हनुमानगंज कोतवाली
जहांगीराबाद संभाग, भोपाल

संलग्न नहीं है।– प्रकरण मे संलग्न समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के संलग्न बायलाज फार्म पर बहाली की टीप किन प्रावधानों के अंतर्गत अंकित की गई है। क्या इससे संबंधित कोई नोटशीट लिखी गयी थी ? क्या शासन से कोई आदेश प्राप्त हुआ था से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है जबकि दिनांक 29.09.2023 को प्राप्त सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त समिति के पंजीयन प्रमाण पत्र ऐसी कोई टीप अंकित नहीं है जबकि वर्ष 02.05.2005 के अवर सचिव आदेश की अवधि मात्र एक माह की थी। इस संदर्भ में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। खटलापुरा मंदिर समिति के संपूर्ण शासकीय अभिलेख में नाम खटलापुरा मंदिर समिति है न की श्रीराम मंदिर खटलापुरा समिति है अर्थात खटलापुरा मंदिर समिति एवं श्रीराम मंदिर खटलापुरा मंदिर समिति दोनो अलग –अलग समिति है न की एक समिति है फिर किन प्रावधानों के अंतर्गत श्रीराम मंदिर खटलापुरा मंदिर समिति के द्वारा कूट रचित दस्तावेज को स्वीकार कर खटलापुरा मंदिर समिति के दस्तोवज मान लिये गये है। इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। सहायक उप निरीक्षक अजय वाजपेयी के द्वारा षडयंत्र के तहत पप्पू विलास एवं उनके सहयोगियों को लाभ पहूँचाने की दृष्टि से गैर कानूनी कृत्य किया गया एवं संदेहास्पद तरीके से जांच की गयी है। प्रकरण के उचित निराकरण के लिये रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी में सुरक्षित खटलापुरा मंदिर समिति से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज प्रकरण के निराकरण हेतु अति आवश्यक है। अतः उपरोक्त दस्तावेजों को आहूत किये जाने का आदेश दिया जाना उचित होगा ।

प्रकरण में उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये । पार्टी क्र–01 पप्पू विलास के द्वारा तर्क किया कि मंदिर सम्पत्ति 1860 से वर्ष 1865 के मध्य शाहंजहा बेगम के द्वारा राजा छक्कूमल श्रीवास्तव को व्यवस्था संभालने के लिए दी गई थी। वर्ष 1969 में जहांगीराबाद के अहीरपुरा क्षेत्र वरिष्ठ नागरिको एवं व्यापारियों के द्वारा पक्का मंदिर बनाया गया । इसी वर्ष मंदिर की देखरेख के लिए एक समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया गया । मंदिर की पूजा पाठ के लिए उदासीन सम्प्रदाय के पुजारियो को दिया गया । उन पर होने वाले खर्च मंदिर समिति के नियंत्रण में दिया जाता रहा । यह व्यवस्था श्यामदास उदासीन के समय तक चली, उनकी मृत्यु के उपरांत मंदिर की पूजा पाठ के लिए प्रेमदास को दी गई है। प्रेमदास जी पूजा पाठ करते थे और धन मंदिर समिति के माध्यम से बैंक खाते में जमा होता था । प्रेमदास जी के बुजर्ग होने व काम करने मे परेशानी होने पर प्रेमदास जी के कहने पर मनोज द्विवेदी जी को मंदिर की व्यवस्था के लिए कहा गया शरूआत में एकत्र धन मंदिर समितिं के माध्यम से बैंक में जमा कराने लगे । कोविड काल में पूजा वगैरह बंद थीं । अनुमति धारक मनोज द्विवेद्वी ने धीरे–धीरे मंदिर की सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया और रजिस्टर वगैरह हटा दिये। मंदिर समिति ने जब ऑडिट कराया तो कई कमिया पायी गई तब इन्होने रजिस्टर गायब कर दिये। इन्होने मंदिर समिति को पैसा देना बंद कर दिया और समिति के सदस्यो से दुव्यर्वहार करने लगे । इस सब की लगातार सूचना थाना जहांगीराबाद में दी गई जहॉ इनके विरूद्व 107–116 की कार्यवाही हुई।

पार्टी क्र–02 मनोज द्विवेदी द्वारा तर्क किया गया कि खटलापुर मंदिर 16वीं शताब्दी का सिद्व मंदिर है, जहॉ बाबा गुरू नानकदेव पधारे हें जगतगुरू सिरजनदेव महाराज के उदासीन पंचायत बड़ा अखाड़ा निर्वाड के फक्कड साधुओं के द्वारा मंदिर की स्थापना की गई जो निरंतर चली आ रही है। इसी परम्परा के अनुसार बाबा श्यामदास जी के द्वारा सहयोगियों के माध्यम से तीन अन्य मंदिरों का निर्माण कराया।आश्रम व धर्मशाला का निर्माण भी इसी में शामिल था। मंदिर की कार्यविधि सम्पूर्णता साधू केन्द्रित थी। 1988 में महंत बाबा श्यामदास जी के ब्रम्हलीन हो जाने पर उनके मुखाग्नि चेले ((शिष्य) महंत बाबा

06/2/2025
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
हनुमानगंज कोतवाली
...संभाग,भोपाल

प्रेमदास जी के द्वारा मंदिर का सम्पूर्ण संचालन किया जाता रहा। तत्पश्चात् उनके देहावसान के बाद मनोज कुमार द्विवेदी तुलसीराम उदासीन के द्वारा मंदिर व्यवस्था संचालित हो रही है। 19 मई 2023 के पश्चात् हमें जन साधारण से पता चला कि कुछ लोग अवैध रूप से उगाही कर रहे हैं। हमने आर.टी.आई. लगाई, ferm society में तब यह पता चला कि समिति निरस्त हो गई है। इन सबके बाद मंदिर के ताले तोड़े गये। पेटियो से पैसा निकाले गये, अभी मै मंदिर में रह रहा हूं और पूजा पाठ कर रहा हूं। हमारे उपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमारी दादी जी और पिता जी मंदिर में सेवा करने आ रहे थे। पिता जी दिसम्बर माह में स्वर्गवासी हो गये।

पार्टी क्र–01 के द्वारा अपने आवेदन पत्र सह जवाब के पैरा –2 में उल्लेख किया है कि खटलापुर मंदिर समिति मनोज द्विवेदी के मंदिर के निष्कासन हेतु नियमित व्यवहारवाद क्र. 892/24 षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल के समक्ष लंबित है। अतः इस न्यायालय को कार्यवाही की अधिकारिता नही रह जाती हैं । जब विवादित सम्पत्ति के सबंध में मामला व्यवहार न्याायालय में प्रचलित हो तब धारा 145 भा.दा.वि के अन्तर्गत कार्यवाही विधि सम्मत नही है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है तथा थाना प्रभारी जहांगीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्र व स्थान की परिशांति भंग न हो इस हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संसुगत प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें । पक्षकार सूचित हो, आदेश की प्रति थाना प्रभारी जहांगीराबाद को प्रेषित की जावे। प्रकरण नस्तीबद्व कर दाखिल अभिलेखागार हों ।

06/12/2025

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
जहांगीराबाद/कोतवाली/हनुमानगंज संभाग
जहांगीराबाद संभाग भोपाल
नजूल शहर वृत भोपाल

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
श्यामला हिल्स भोपाल

क्रमांक 170/यांत्रिकी झील/2025 दिनांक 16/04/2025

प्रति

कलेक्टर
जिला भोपाल

विषयः– माननीय एम.जी.टी. (सेन्ट्रल जोनल बैंच, भोपाल) के प्रकरण OA 208/2024 (CZ) खटलापुरा मंदिर समिति विरूद्ध म.प्र. वेट लैण्ड अर्थोटी व अन्य।

संदर्भः– माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 208/2024 में पारित आदेश दिनांक 08/01/2025।

विषयांतर्गत माननीय एन.जी.टी. (सेन्ट्रल जोनल बैंच, भोपाल) के प्रकरण OA 208/2024 (CZ) खटलापुरा मंदिर समिति विरूद्ध म.प्र. वेट लैण्ड अर्थोटी व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/01/2025 में निम्नानुसार निर्देश दिये गये है।

"2. Accordingly, we direct the State PCB and Municipal Corporation to take action and to ensure that no construction should be permitted within the wetland area. Respondents are directed to ensure it. Reply may be filed within two weeks."

खटलापुरा मंदिर में बिना अनुमति के तालाब की सीमा से 30 मीटर की दूरी के अंदर प्रेमदास जी की मृत्यू पश्चात समाधी का निर्माण हुआ है। समाधी को हटाने/अवैध निर्माण रोकने व समाधी के निर्माण पर प्रतिबंधित किये जाने हेतु खटलापुरा मंदिर समिति द्वारा पत्र प्रेषित किये गये है। इस संबंध में पत्र महोदय की ओर भी दिनांक 16/08/2024 को समिति द्वारा प्रेषित किया गया है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

प्रकरण धार्मिक होने से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सादर प्रस्तुत।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अपर आयुक्त
वा. नगर निगम भोपाल

पृष्ठा. क्र. 171/यांत्रिकी झील /2025 भोपाल दिनांक–16/04/2025

प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर उनके निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
वा. नगर निगम भोपाल

Inspection Photographs in OA 208/2024

dated 23/04/2025

व्यायाम शाला
रेसलिंग कुश्ती मल्टी जिम प्रशिक्षण केंद्र
Latitude: 23.250176
Longitude: 77.410754
Time: 04-23-2025 12:35
Note: Khatlapura mandir
Powered by NoteCam

Latitude: 23.250208
Longitude: 77.4107
Time: 04-23-2025 12:25
Note: Khatlapura mandir
Powered by NoteCam

Latitude: 23.250155
Longitude: 77.410671
Time: 04-23-2025 12:28
Note: Khatlapura mandir
Powered by NoteCam